

प्रेषकः

एफ०एन० प्रधान,
संयुक्त संघीय
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

संघीय,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
शिक्षा केन्द्र-२ समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नईदिल्ली।

रिदा (७) अनुमान

लखनऊ: दिनांक: १९ फरवरी, २००९

विषय :- भारतीय बाल विद्या मंदिर रकूल नियर अन्सल टाउन, बगदा रोड, बरीली अहीर, शमसाबाद रोड, आगरा को सी०बी०एस०ई० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिक्षणों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

- (१) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (२) विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- (३) विद्यालय में कम से कम १० प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के नेपाली बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे ००प्र०माध्यमिक शिक्षा परिषद्/ वैसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (४) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता संट्रल बोर्ड आफ संकेष्टी एजूकेशन नईदिल्ली/कॉसिल फार दि इण्डियन रकूल सर्टीफिकेट इकजामिनेशन नईदिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से ००प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान रखते समाप्त हो जायेंगे।
- (५) संस्था के गैंगेक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त रिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भूतों से कम वेतनमान तथा अन्य भूतों नहीं दिये जायेंगे।
- (६) कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

-- २ --

S.O.C.

Principal

Bhartiya Bal Vidya Mandir Sr. Sec. School
Agra

MANAGER

BHARTIYA BAL VIDYA MANDIR SCHOOL
BAROULI AHEER, SHAMSABAD ROAD
AGRA

- (7) राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- (8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पेजिकाओं में रखा जायेगा।
- (9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

2— उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(एफ0एन0 प्रधान)
संयुक्त सचिव।

पूरसंख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1— शिक्षा निदेशक(मा0),उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 2— मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, आगरा।
- 3— जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा।
- 4— निरीक्षक,आंग्ल भारतीय विद्यालय उ0प्र0,लखनऊ।
- 5— प्रबन्धक, भारतीय यात्र विद्या मंदिर स्कूल,नियर अन्सल टाउन,बगदा रोड,बरोली अहीर, शमसाबाद रोड,आगरा।
- 6— गार्ड चुक।

✓ आज्ञा से,

(एफ0एन0 प्रधान)
संयुक्त सचिव।

Nandini
Principal

Bhartiya Bal Vidya Mandir Sr. Sec. School
Agra

NOC

[Signature]

MANAGER

BHARTIYA BAL VIDYA MANDIR SCHOOL
BAROULI AHEER, SHAMSABAD ROAD
AGRA